



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)



पशुधन द्वारा
और भी गुणवत्ता बढ़ाएँ

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

समग्र भैंस पालन योजना

01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारु भैंस की डेयरी इकाई
के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के लिए 75%
तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान की योजना



ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए 1 एवं 2 उन्नत नस्ल के
दुधारु भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर

योजना के अवयव

क्र.	अवयव	लागत मूल्य (₹0 में)	विभागीय अनुदान की राशि (₹0 में)	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति	अन्य सभी वर्गों के लिए
1	1 दुधारु भैंस (मुराह/ जाफराबादी/भदावरी)	1,21,000/-	90,750/-	60,500/-
2	2 दुधारु भैंस (मुराह/ जाफराबादी/भदावरी)	2,42,000/-	1,81,500/-	1,21,000/-

- योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.06.2025 से 25.07.2025 तक भरे जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का अद्यतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अद्यतन बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है।
- विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/ahd> | <https://dairy.bihar.gov.in>
Email: directordairy@gmail.com, Phone : 94710 07445 | Toll Free : 1800 345 8881



सात निश्चय-2 के तहत

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

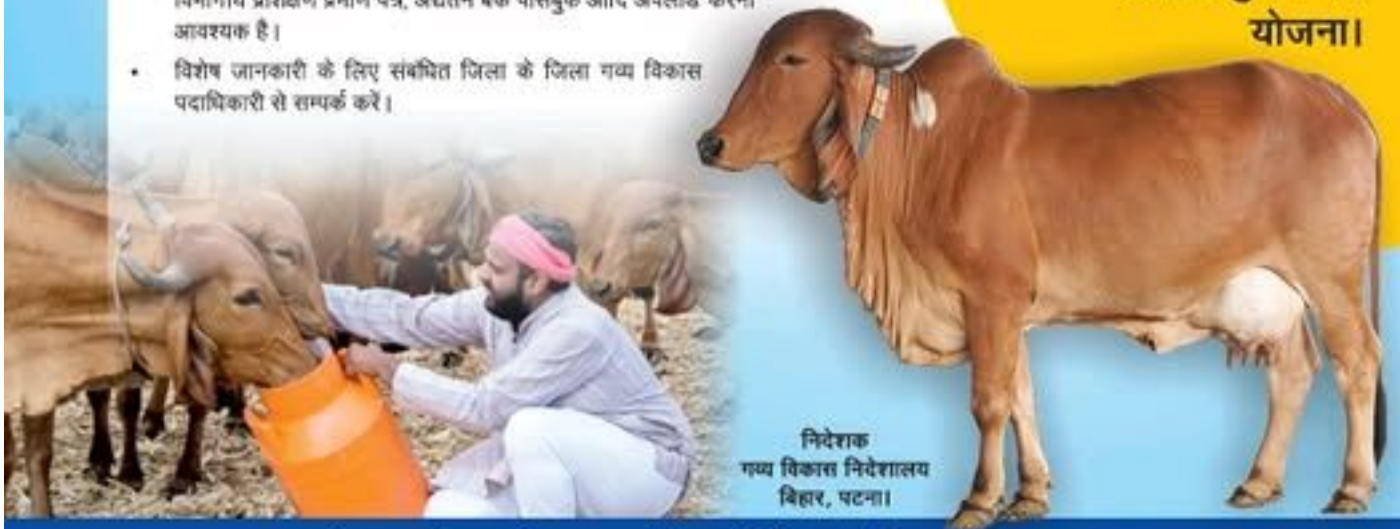
ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए
02 एवं 04 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु
आवेदन देने का सुनहरा अवसर।

योजना के अवयव

क्र.	अवयव	लगत मूल्य (₹. में)	अनुदान की राशि (₹. में) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनु. जाति/अनु. जनजाति	अनुदान की राशि अन्य सभी वर्गों के लिए
1	02 देशी गाय/हिफर	2,42,000/-	1,81,500/-	1,21,000/-
2	04 देशी गाय/हिफर	5,20,000/-	3,90,000/-	2,60,000/-

- योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.06.2025 से 25.07.2025 तक भरे जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का अद्यतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अद्यतन बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है।
- विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

02 एवं 04 देशी
गाय/हिफर (साहिवाल,
गिर, थारपारकर) के
लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के
लिए 75% अनुदान तथा
अन्य वर्गों के लिए
50% अनुदान की
योजना।



निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/ahd> | <https://dairy.bihar.gov.in>

Email: directordairy@gmail.com, Phone : 94710 07445 | Toll Free : 1800 345 6681



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)



परशुधन द्वारा
जीवन में गुणवत्ता सुधार

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

समग्र गव्य विकास योजना

02 एवं 04 दुधारु मवेशी के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75%
तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान
एवं 15 तथा 20 दुधारु मवेशी के लिए सभी वर्गों हेतु 40%
अनुदान की योजना



ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए 2, 4, 15 एवं 20 दुधारु मवेशियों/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर

योजना के अवयव

अवयव	लागत मूल्य (₹0 में)	विभागीय अनुदान की राशि (₹0 में)	
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनु. जाति / अनु. जनजाति	अन्य सभी वर्गों के लिए
2 दुधारु मवेशी / हिफर	1,74,000 / -	1,30,500 / -	87,000 / -
4 दुधारु मवेशी / हिफर	3,90,400 / -	2,92,800 / -	1,95,200 / -
सभी वर्गों के लिए			
15 दुधारु मवेशी / हिफर	15,34,000 / -	6,13,600 / - (40%)	
20 दुधारु मवेशी / हिफर	20,22,000 / -	8,08,800 / - (40%)	

- योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.06.2025 से 25.07.2025 तक भरे जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का अधिदान रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अधिदान बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है।
- विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/shd> | <https://dairy.bihar.gov.in>

Email: directordairy@gmail.com Phone: 94710 07445-1 Toll Free: 1800 245 6681

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।